न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी (पी0ए0) एक्ट, सुलतानपुर।

फौजदारी वाद संख्या 19/2018

रामसुभावन बनाम अजय कुमार आदि

दिनांक–13.05.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते किये जाने डिस्चार्ज इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वाद उपरोक्त में प्रार्थीगण अभियुक्त है। प्रार्थीगण को फर्जी गलत तथ्यों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। जबकि प्रार्थीगण निर्दोष है। वादी द्वारा फर्जी ढंग से परिवाद दायर किया है जबकि ऐसी कोई घटना प्रार्थी द्वारा नहीं की गयी है, न ही घटना के संबंध में कोई जानकारी ही है। महज प्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिए ऐसा किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को मुकदमा से डिस्चार्ज किया जाना नितान्त आवश्यक है। इन्हीं कथनों के आधार पर वाद उपरोक्त में प्रार्थीगण को डिस्चार्ज करने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण को धारा–323,504.506,452,427 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में न्यायालय द्वारा दिनांक 06.08.2019 को आहूत किया गया। पत्रावली काफी समय से आरोप के स्तर पर लम्बित है। अभियुक्तगण आरोप विरचित किये जाने में न्यायालय का सहयोग नहीं कर रहे हैं। अतः अभियुक्तगण का प्रार्थनापत्र निरस्त कर आरोप विरचित किया जाये।

डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र पर प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक की बहस सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि वादी मुकदमा की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 156(3) द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा परिवाद के आधार पर पंजीकृत किया गया। कथित घटना के समर्थन में परिवादी का बयान अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 में एवं उसकी ओर से परीक्षित साक्षियों के बयान धारा 202 द0प्र0सं0 के तहत अंकित किये गये। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण कसौंधन व संजय कसौंधन धारा 323,504,506,452,427 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अपराध में विचारण हेतु आहूत किया गया।

प्रार्थीगण की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी द्वारा फर्जी ढंग से परिवाद दायर किया है जबकि ऐसी कोई घटना प्रार्थीगण के द्वारा नहीं की गयी है और न ही घटना के संबंध में कोई जानकारी है परन्तु उनकी ओर से प्रस्तुत उक्त तर्क का परीक्षण साक्ष्योपरान्त ही किया जा सकता है, इस स्तर पर प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा विधि व्यवस्था प्रस्तुत नहीं की गयी है कि जिससे यह स्पष्ट होता हो कि आरोप के स्तर पर ही न्यायालय को अपना मत व्यक्त करना है। यह भी स्पष्ट होता है कि परिवादी एवं अन्य गवाहों के बयान लिये जाने के उपरान्त न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को आहूत किया गया है।

विधि व्यवस्था **कान्ती भद्रा सहाय एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए0**

आई आर 2000 (एस सी) 522 तथा गंगूराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2009 ए एल जे 267 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप के स्तर पर न्यायालय को मात्र आरोप विरचन हेतु प्रथम दृष्टया सामाग्री उपलब्ध होने पर ही विचार करना है, न कि यह देखना कि दोष सिद्धि हेतु पर्याप्त आधार है अथवा नहीं।

विधि व्यवस्था–

1. **पलविन्दर सिंह बनाम बलविन्दर सिंह 2009 (65) ए सी सी 399 सुप्रीमकोर्ट**
2. **स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम देवेन्द्र नाथ पड़ी 2005 (51) ए सी सी 209 सुप्रीमकोर्ट**
3. **भारत पारिख बनाम सी बी आई 2008 कि0 लॉ जनरल 3540 सुप्रीमकोर्ट** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय अभियुक्तगण के विरूद्ध तनिक सन्देह उत्पन्न होने पर भी आरोप विरचित कर सकता है।

अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए न्ययालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूॅ कि आरोप के स्तर पर सूक्ष्म विवेचना वांछित नहीं है क्योंकि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सही है अथवा गलत, इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता यदि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथ्य एवं साक्ष्य को अखण्डित मान लिया जाये तो न्यायालय द्वारा जो साक्ष्य एकत्रित किये गये है, उसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः इस स्तर पर अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली दिनांक 17.07.2025 को आरोप विरचन हेतु पेश हो।

Sd/-
विशेष न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) ऐक्ट,
सुलतानपुर।